पश्चिम मध्य रेल

पश्चिम मध्य रेलवे में संविदा आधार पर पुनर्नियोजन हेतु अधिसूचना- राज्य सरकार के वन/ राजस्व विभाग से सेवानिवृत अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए

रोलिंगअधिसूचना

अधिसूचना संख्या-03/2022

दिनांक 06.09.2022

पश्चिम मध्य रेलवे के निर्माण विभाग में सर्वे, भूमि अभिलेख का अपडेशन, राज्य सरकार की एजेंसी से समन्वय कर फारेस्ट/ वाइल्ड लाईफ क्लियरेंस उपलब्ध करवाने आदि कार्यों कि लिए राज्य सरकार के राजस्व/ वन विभाग के योग्य एवं इच्छुक सेवानिवृत अधिकारियों/ कर्मचारियों का संविदा के आधार पर **"लैन्ड एक्वीजिशन एसोसिएट"** के रुप में पुनर्नियोजन के लिए आवदेन आमंत्रित किए जाते हैः-

आवेदन प्रारम्भ होने का तिथि	06.09.2022
आवेदन प्राप्त करने कि अंतिम तिथि	रोलिंग विज्ञापन (Rolling Advertisement) Note-रिक्तियां रहने तक/ स्कीम की वैधता तक

1. पुनर्नियोजन पूर्णतः संविदा आधार पर अनुबंध कि तिथी से एक वर्ष अथवा आवेदक की उम्र 65 वर्ष होने तक अथवा उक्त योजना लागू रहने तक,जो भी पहले हो,लागू रहेगी।
2. रिक्तियां

पदनाम जिससे आवेदक सेवानिवृत्त हुए हों	राजस्व अधिकारी	वन्य अधिकारी
पटवारी	02	-
तहसीलदार	01	-
नायब तहसीलदार	01	-
रेवेन्यू इंस्पैक्टर	03	-
रेन्जर	-	02
सब डिविजनल फारेस्ट अधिकारी	-	01
कुल पद	07	03

नोट-(1) रेलवे के परियोजनाओं के स्थान पर रहने वाले एवं वहां से सेवानिवृत कर्मचारी को प्राथमिकता दी जाएगी।

(2) उपरोक्त पैरा 2 में अंकित पद प्रोजैक्ट की आवश्यकता/प्राथमिकता के अनुसार परिवर्तनीय होंगे।

(3) चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना आवश्यतकतानुसार किसी भी प्रोजैक्ट के लिए की जा सकती है।

(4) उपरोक्त रिक्तियों को प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार को WCR की वैबसाइट (www.wcr.indianrailways.gov.in) पर अपडेट किया जायेगा। उसके अनुसार प्राप्त आवदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

6/9/22

3.आयु सीमा- अधिसूचना जारी होने की तिथी को आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4.आवेदकों की पात्रताः

राज्य सरकार के राजस्व /वन विभाग के (पेरा 2 में अंकित पदों से) सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें भूमि के सर्वे, भूमि अभिलेख का अपडेशन, फारेस्ट/ वाइल्ड लाईफ क्लियरेंस आदि कार्यो का पर्याप्त अनुभव हो।

5.आवेदन की प्रक्रियाः-

(1) आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा(एनेक्चर ए, बी, सी डी) में ही स्वीकार किया जाएगा,जो पूरी तरह से भरे जाने चाहिये तथा आवेदन पत्र के साथ सेवानिवृत कर्मचारी का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, अंतिम वेतनपर्ची,आधार कार्ड,पैन कार्ड, सेवा प्रमाण पत्र एवं पेंशन पेमेंट आर्डर की स्व सत्यापित प्रति(Self attested Copy)संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन तथा उसके संल्गनक की स्कैन्ड कापी ई-मेल aporwcr@ gmail.com पर ई-मेल की जानी है एवं मूल आवेदन प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, महाप्रबंधक कार्यालय ,पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर- 482001 के कार्यालय में डाक द्वारा भी आवश्यक रुप से प्राप्त हो जाना चाहिये।

(2). स्क्रीनिंग के समय पैरा 5 (1) में उल्लेखित दस्तावेजों की मूल प्रति स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(3). अपूर्ण आवेदन अथवा आवश्यक दस्तावेजों के बगैर प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(4) .एनैक्चर "सी" के स्थान पर सेवानिवृती के तीन वर्ष पूर्व के APAR (प्रत्येक वर्ष भरे जाने वाले गोपनीय रिपोर्ट) जिसमें सत्यनिष्ठा संबंधी प्रविष्टि दर्ज की गई हो, भी संल्ग्न किया जा सकता है।

(5). आवेदन प्रक्रिया संबंधी जानकारी के लिये हैल्प डैस्क नं.- 8516854101 है।

(6)-प्रत्येक माह के दूसरे शुक्रवार को प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, महाप्रबंधक कार्यालय ,पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर- 482001 के कार्यालय में दस्तावेजों का सत्यापन एवं साक्षात्कार प्रातः 10 बजे से 12.30 बजे तक किया जायेगा।

6. मासिक वेतन-

(1) पूरे संविदा काल में नियत मासिक पारिश्रमिक वेतन प्रदान किया जायेगा। मासिक पारिश्रमिक वेतन की गणना पुनर्नियोजित सेवानिवृत कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन (मूल वेतन+ डीए) से पैंशन कम कर निर्धारित की जाएगी। निर्धारित वेतन पूरे संविदा काल में अपरिवर्तनीय रहेगी।

(2) .वार्षिक वेतन वृध्दि, मंहगाई भत्ता एवं मकान किरांया भत्ता देय नहीं होंगे।

(3) .घर से कार्य स्थल तक आने जाने के लिये उचित एवं नियत परिवहन भत्ता देय होगा। यह भत्ता सेवा निवृत्ति के समय दिये जाने वाली दर से अधिक नहीं होंगे तथा पूरे संविदा काल के लिये नियत/ अपरिवर्तनीय रहेंगे

7. दैनिक भत्ता - रेल प्रशासन की आवश्यकता कार्य हेतु यात्रा किये जाने पर नियमानुसार यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता पुनर्नियोजित सेवानिवृत कर्मचारी को उनकी सेवानिवृति की तिथी को राज्य सरकार में लागू दर के अनुसार देय होगा।

8. छुट्टी की पात्रता- प्रत्येक समाप्त होने वाले माह के लिये 1.5 दिनों का संवैतानिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। रविवार एवं राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में छुट्टी की पात्रता रहेगी,तथापि उन्हें रविवार एवं राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में भी आवश्यकता होने पर कार्य पर बुलाया जा सकता है, जिसके लिये उन्हें प्रतिपूरक

8/9/22

अवकाश प्रदान किया जाएगा। प्रतिपूरक अवकाश केवल रेलवे के सुपरवाइजर ग्रेड से नीचे के पुनर्नियोजित कर्मचारियों को ही देय होगा।

9. सत्यनिष्ठा एवं कार्य संबंधी गोपनियता हेतु शपथ पत्र- पुनर्नियोजित कर्मचारियों को रेलवे के साथ कार्य संबंधी गोपनीयता,नैतिकता (एथिक्स) सत्यनिष्ठा के शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।

10. चयन के मानदन्ड- अधिसूचना में अंकित पात्रता मापदन्ड के अनुसार प्राप्त आवेदनों में से पात्र आवेदकों की सूची तय की जाएगी। पात्र आवेदकों का फिर चयन समिति द्वारा व्यकितगत साक्षात्कार लिया जाएगा,जिसके आधार पर चयन सूची जारी की जाएगी। तत्पश्चात इन्हें चिकित्सा परीक्षण हेतु भेजा जाएगा।

11. चिकित्सा परीक्षण- अंतिम चयन से पूर्व आवेदकों को नामांकित रेल चिकित्सालय में C-2 श्रेणी के चिकित्सा परीक्षण हेतु भेजा जाएगा। चिकित्सा परीक्षा पास करने के उपरांत ही इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पुनर्नियोजन अंतिम रुप से निर्णित होगा।

12. अन्य महत्वपूर्ण तथ्यः-

(1). अंतिम रुप से चयनित अभ्यर्थियों को 07 दिनों के अंदर रिपोर्ट करना होगा। निर्धारित समय सीमा के अंदर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने पर पुनर्नियक्ति हेतु दूसरे अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा।

(2). अभ्यर्थी की पात्रता, स्वीकृति या नियुक्ति एवं चयन के तरीके जैसे सभी मुद्दों पर अंतिम निर्णय रेल प्रशासन का ही होगा।

(3). चयन प्रक्रिया के दौरान साक्षात्कार आदि में शामिल होने का खर्च अभ्यर्थी को स्वयं वहन करना होगा। इस हेतु टीए/ डीए आदि देय नहीं होगा।

13. अनुबंध की समाप्ति- यद्यपि अनुबंध दोनों पक्षों में से किसी के भी द्वारा एक माह के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है। पुनर्नियोजित राज्य सरकार कर्मचारियों के कार्य पर नियमितरुप से निगरानी रखी जाएगी एवं जो पुनर्नियोजित कर्मचारी प्रशासन की अपेक्षाओं के अनुरुप अपने कार्यो का निर्वाह नहीं करते पाए जाएंगे , उन्हें 30 दिनों का नोटिस देते हुए उनका अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। तथापि आवेदक के विरुद्ध कार्य से लापरवाही/ अनुशासनहीनता/ दुराचार या अनियमितता पाये जाने की स्थिती में पुनर्नियोजन/ अनुबंध बिना किसी पूर्व नोटिस के समाप्त किया जा सकेगा।

संलग्न- आवेदन प्रोफार्मा(A,B,C,D)

06/09/22

(संजय कुमार सिन्हा)
सहायक कार्मिक अधिकारी/ भर्ती
कृते प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी
पश्चिम मध्य रेल/ जबलपुर

प्रति- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)-कृपया अधिसूचना का व्यापक प्रचार प्रसार हेतु संबंधित जिलों मे कराने का प्रबंध करें।

(1/9/22)

812154/2022/O/o CPO(admn)/WCR

(Notification No. 03/2022) ANNEXURE-A

APPLICATION FORM FOR RE-ENGAGEMENT OF RETIRED REVENUE/FOREST STATE GOVERNMENT OFFICIALS FOR THE POST OF ______________

Latest passport size photograph of retired State Government Official (Self attested)

1.	Name (in Block letter)	
2.	Father's Name	
3.	Community/Caste	
4.	Place and Post held at the time of Retirement	
5.	Pay Band + GP Rs. in 6th CPC or Pay Pay level + Basic in 7th CPC (At the time of retirement as applicable in State Govt.)	
6.	Last Pay Drawn	
7.	Date of Birth (DD-MM-YYYY)	
8.	Date of attaining the age of 65 year	
9.	Date of Appointment (DD-MM-YYYY)	
10.	Mode of retirement (Superannuation/VR/Compulsory/SRRS)	
11	Date of Retirement (DD-MM-YYYY)	
12.	PPO No. /Service Certificate	
13.	Basic Pension Sanctioned	
14.	Educational Qualification	
15.	Have you ever been arrested/Prosecuted (Yes/No)	

6/9/22

16.	Have you ever convicted by a court of law for any offence (Yes/No)	
17	Any case pending or penalty under D&AR/Vig. At the time of Retirement	
18.	AADHAR No. (Copy Enclosed)	
19.	. PAN No. (Copy Enclosed)	
20.	Residential Address (Full with pin code)	
21.	A) Mobile No. B) Aulternate Mobile No./Whatsapp No.	
22.	e-mail Id.	

Note: If reply to any of the item No. 15, 16, 17 is yes, the details thereof may be provided.

DECLARATION

1.	I the undersigned do hereby solemnly affirm and declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of my knowledge. I shall be responsible for submission of any wrong and/or incorrect information and that my engagement may be terminated in this reference.
2.	I am willing for re-engagement subject to the terms and conditions enumerated in this notification/extant rules and as modified by administration from time to time.
3.	I understand that the re-engagement can be terminated by giving one months notice without any explanation or any reason.

Place ....

Date..........................

(Signature and Name of the retired Employee)

6/1/22

W.C.R.

812154/2022/O/o CPO(admn)/WCR

(Notification No. 03/2022)

ANNEXURE- B

WORKING EXPERIENCE

A) The Details of post held by the applicant during the last 10 years prior to retirement in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature if the space below is insufficient:

Sr. No.	Pay Level/ Scale	Designation	Ministry	Department & Office	Place	Tenure	Nature of duties highlighting the experience required for the post applied
1	2	3	4	5	6	7	8

B) Write a brief note highlighting significant/relevant achievements /experience in support of eligibility (Enclose a separate sheet if the space provided is insufficient)

C) Please indicate any Awards/Official Appreciation received (Enclose a separate sheet if the space provided is insufficient)

Signature of the applicant:__________________

c/9/22

(Notification No. 03/2022) ANNEXURE- C

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

It is certified that Shri/Smt./Kumari ....
Son/Wife/Daughter of Shri ....
was working in this organization/department and retired from the post of .... on (Date) .... To the best of my knowledge and belief, he/she bears reputable character and his integrity is beyond doubt. He/She has no antecedents which may render him/her unsuitable for further Government employment.

Shri/Smt./Kumari.................................. is not related to me.

Place.............................

Date..............................

Signature : ....

Designation : ....

Seal

6/9/22

W.C.R.

(Notification No. 03/2022) ANNEXURE- D

CHECKLIST OF DOCUMENTS TO BE ENCLOSED ALONGWITH APPLICATION

Sr. No.	Documents enclosed	Yes/No
1.	Last Pay Slip	
2.	Copy of Pension Payment order	
3.	Aadhar Card	
4.	PAN Card	
5.	Service certificate	
6.	Pensioners Identity Card	
7.	NOC from current employer (If applicable)	
8.	Cancelled Cheque	
9.	Integrity certificate/APAR with integrity endorsement	

Date......................

Signature of Applicant : ....

6/9/22

पश्चिम मध्य रेल

रोलिंग अधिसूचना संख्या 03 2022 (पमरे निर्माण)

पश्चिम मध्य रेल के निर्माण संगठन में संविदा आधार पर राज्य सरकार के राजस्व /वन विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों का "लैन्ड एक्वीजिशन एसोसियेट" के रुप में पुनर्नियोजन

प्रारंभ तिथि-06.09.2022

रोलिंग अधिसूचना

पश्चिम मध्य रेल्वे के निर्माण विभाग में सर्वे, भूमि अभिलेख का अपडेशन, राज्य सरकार की एजेंसी से समन्वय कर फारेस्ट वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस उपलब्ध करवाने आदि कार्यों के लिये राज्य सरकार के राजस्व / वन विभाग के योग्य एवं इच्छुक सेवानिवृत अधिकारियों/ कर्मचारियों का संविदा के आधार पर "लैन्ड एक्वीजिशन एसोसियेट" के रुप में 10 पदों पर पुनर्नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। यह पुनर्नियोजन पूर्णतः संविदा आधार पर है।

विस्तृत अधिसूचना एवं अन्य निबंधन एवं शर्ते पश्चिम मध्य रेल के वैबसाइट (www.wcr.indianrailways.gov.in) पर देखी जा सकती है। आवेदक सीधे निम्नांकित वैबलिंक पर जाकर अधिसूचना डाउनलोड कर सकते हैं।

https://wcr.indianrailways.gov.in/uploads/files/1652349436573-LAA%20Notification.pdf.

महाप्रबंधक कार्यालय
पमेर जबलपुर